भा0कृ0अ0प0–केन्द्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान
मखदूम, फरह–281122, मथुरा (उ0प्र0)

दिनांक: 13.07.2017

पत्रांक : 5–16(4)/सी.पी.एण्ड सी./2015

नीलामी सूचना

सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि इस संस्थान की अतिरिक्त भेड़, बकरी व इनके बच्चे, मांस, खाल ऍव स्लॉटर प्रोडक्ट्स की बिक्री का वार्षिक अनुबन्ध अधिकतम बोली के आधार पर आगामी एक वर्ष के लिए दिनांक 20.07.2017 को प्रातः 11.00 बजे इस संस्थान के परिसर में किया जायेगा।

क्र0सं0	नाम वस्तु	दर	धरोहर राशि (रूपयों में)	सफल बोली दाता द्वारा जमा की जाने वाली जमानत राशि
1.	स्वस्थ्य भेड़ व बकरी	रूपया (प्रति कि. ग्रा0 जिन्दा वजन)	रू.7,000/–	रू.25,000.00 रू.40,000.00
2.	बीमार, कमजोर, पुरानी, बूढी भेड व बकरी	उपरोक्त	रू.2,500/–	रू.2,500.00
3.	बधित भेड़ व बकरी की खाल (अ) 6 माह से एक वर्ष की आयु की (ब) एक वर्ष से अधिक आयु की	प्रति नग	रू.2,500/–	
4.	मरी हुई भेड एंव बकरी की खाल (अ) एक दिन से 6 माह तक की आयु की (ब) 6 माह से अधिक आयु की	प्रति नग	रू.2,500/–	रू.2,500.00
5.	स्वस्थ भेड एंव बकरी के स्लॉटर से प्राप्त सरप्लस मांस	प्रति किलो	रू.2,500/–	रू.3,000.00
6.	स्लॉटर प्रोडक्ट्सः (अ) सिर, पैर, पेट, ऑतडी एवं फेफड़ा (ब) अन्य खाद्य व अखाद्य वस्तु जैसे – कलेजी, चर्बी, दिल, तिल्ली, गुर्दा, अग्नाश्य, टेस्टीज आदि	प्रति सैट प्रति किलो	रू.1,500/– रू.1,500/–	रू.5,000.00

नोट :

1. सफल बोलीदाता को बोली समाप्त होने पर कुल सामान की अनुमानित कीमत का 10 प्रतिशत भुगतान जमानत राशि के रूप में तुरन्त जमा करना होगा । बोली दाता द्वारा जमा की गई अमानत राशि को जमानत राशि में समायोजित किया जा सकता है ।
2. अन्य शर्तें व विवरण किसी भी कार्य दिवस में अद्योहस्ताक्षरी के कार्यालय से प्राप्त की जा सकती हैं ।
3. उपरोक्त नीलामी सूचना संस्थान की वेव साइट www.cirg.res.in पर भी देखी जा सकती है ।

सहायक प्रशासनिक अधिकारी
कृते निदेशक

1. नोटिस बोर्ड, खन्ड विकास, फरह, मथुरा ।
2. नोटिस बोर्ड, कार्यालय नगर पंचायत, फरह, मथुरा ।
3. नोटिस बोर्ड, के0ब0अ0सं., मखदूम, फरह, मथुरा ।
4. प्रभारी ए0के0एम0 यूनिट, के0ब0अ0सं., मखदूम, फरह, मथुरा को संस्थान की वैवसाइट पर प्रदर्शित करने हेतु ।
5. सुरक्षा मिसिल ।

भा0कृ0अ0प0–केन्द्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान
मखदूम, फरह–281122, मथुरा (उ0प्र0)

भेड, बकरी, मांस, खाल एँव स्लॉटर प्रोडक्ट्स की नीलामी की शर्तें

1. बोली लगाने का अधिकार निर्धारित धनराशि जमा करने पर ही होगा ।
2. अधिकतम बोली लगाने वाले को ही आगामी एक वर्ष के लिए ठेका दिया जायेगा । धरोहर राशि सफल बोली लगाने वाले को छोडकर नीलामी के उपरान्त ही वापिस कर दी जायेगी ।
3. जिस जानवर को संस्थान द्वारा दिया जायेगा, वही लेना होगा ।
4. ठेकेदार को समय से खाल उठानी होगी ।
5. यदि ठेकेदार बीच में इस संस्थान की शर्तों के अनुसार अपना ठेका पूरा नहीं करेगा, तो उसकी जमानत राशि जब्त कर ली जायेगी तथा इस सम्बन्ध में कोई सुनवाई नहीं होगी।
6. अन्य शर्तें यदि कोई होंगी तो नीलामी के समय सूचित कर दी जायेंगी ।
7. इस संस्थान के निदेशक को बिना कारण बताये किसी भी बोली को पूर्णतः या अंशतः निरस्त करने का अधिकार सुरक्षित है, तथा निदेशक का निर्णय हर परिस्थिति में अन्तिम तथा मान्य होगा ।
8. ठेके के दौरान यदि कोई विवाद उठता है तो उसका निपटारा मथुरा जनपद न्यायालय द्वारा ही निपटाया जायेगा ।
9. यदि कोई सफल बोलीदाता ठेका नहीं लेता है तो उसे इस ठेके व संस्थान में अन्य ठेका लेने के लिए आगामी तीन वर्ष के लिए अयोग्य माना जायेगा ।
10. ठेकेदार स्वयं या उसका मनोनीत व्यक्ति ही नकारा जानवर व जानवर उत्पाद ले सकेगा अर्थात ठेकेदार अपने ठेकों को शिकमी में नहीं देगा ।
11. सफल बोलीदाता को बोली समाप्त होने पर कुल सामान की अनुमानित कीमत का 10 प्रतिशत भुगतान जमानत राशि के रूप में तुरन्त जमा करना होगा । बोली दाता द्वारा जमा की गई अमानत राशि को जमानत राशि में समायोजित किया जा सकता है ।

सहायक प्रशासनिक अधिकारी